Statement

Statement showing pending Bills—State-wise

States	No. of Bills
Andhra Pradesh	8
Assam	5
Bihar	2
Goa	3
Gujarat	1
Haryana	9
Himachal Pradesh	1
Kerala	1
Karnataka	6
Madhya Pradesh	1
Manipur	6
Meghalaya	3
Orissa	5
Rajasthan	5
Sikkim	2
Tamil Nadu	5
Tripura	4
Uttar Pradesh	2
West Bengal	7
Total	76

राजस्थान से लगी सीमा पर कांटेदार तारों का लगाया जाना

286. डा० **अबरार अहमद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान से लगी पाकिस्तान की सीमा पर कौन-कौन से क्षेत्रों में कांटेदार तार लगाए गए हैं तथा क्या प्रकाश की व्यवस्था की गई है;

(ख) इस कार्य में शिथिलता आने के क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में राजस्थान-पाकिस्तान सीमा पर कितनी मात्रा में हथियार, तस्करी का सामान, नशीली दवाइयां, स्वापक आदि जब्त किये गये और कितने आतंकवादियों को पकड़ा गया तथा भविष्य में इन गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) क्या इस सीमा-क्षेत्र के निवासियों को कोई परिचय-पत्र जारी किए गये हैं, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) और (ख) राजस्थान के श्रीगंगानगर-बीकानेर क्षेत्र में 58.8 कि.मी. में कांटेदार बाड़ तथा 61.8 कि. मी. में फ्लड लाईट लगाने का कार्य पूरा हो चुका है। राजस्थान के श्रीगंगानगर-बीकानेर क्षेत्र में 144 कि.मी. में कांटेदार बाड़ तथा 175 कि.मी. में फ्लड लाईट लगाने के कार्य का अनुमोदन हो चुका है तथा शीघ्र ही आरम्भ किया जाएगा।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पकड़े गए/मारे गए, घुसपैठ करने वालों (आतंकवादियों सहित) की संख्या, सोना सहित जब्त किए गए शस्त्र और गोला बारूद, निषिद्ध सामान का विवरण संलग्न है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा तस्करी की रोकथाम करने, पाकिस्तान से आतंकवादियों के आवागमन को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए है। सीमा पर बाड़ लगाने/फ्लड लाईट लगाने के अलावा, बी.ओ.पी. के मध्य की दूरी को सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें तैनात करके कम किया गया है, गश्तनाकाओं की संख्या को बढ़ा दिया गया है, बेहतर निगरानी रखने के लिए ओ.पी. बुर्जों का निर्माण किया गया है, अर्ध-सैनिक बलों को रात में देखने के प्रयोग में आने वाले उपकरण, दूरबीन तथा हाथ की खोजी लाईटों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि बेहतर निगरानी हो सके, जीपों/मोटर साईकिलों पर चलती-फिरती गश्त शुरू की गई है जिससे कि जल्द और प्रभावकारी ढंग से चौकसी की जा सके, आतंकवादियों/उग्रवादियों के प्रवेश को रोकने के लिए

कांटेदार अवरोधक खड़े किए गए हैं तथा सीमा सुरक्षा बल के आसूचना गठन को मजबूत किया गया है ।

(घ) सीमा सुरक्षा बल से प्राप्त सूचना के अनुसार, राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में जारी किए गए पहचान-पत्र निम्न प्रकार हैं :-

(i) श्री गंगा नगर (करनपुर तहसील) 63313

(ii) रायसिंह नगर 27625

(iii) बीकानेर
(पुगल तहसील) 12227
(कोलायत तहसील) 14122

(iv) जैसलमेर 18589

(v) पोकरन 7824

(vi) बाडमेर (छोटन तहसील) 101589

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में भारत-पाक सीमा पर गिरफ्तार किए गए/मारे गए आतंकवादियों/घुसपैठियों तथा जब्त किए गए शस्त्र/गोलबारूद, तस्करी हुए सामान, नशीली दवाओं/औषधियों इत्यादि के ब्यौरे

	1989	1990	1991
पकड़ गए घुसपैठियों/आतंकवादियों की संख्या	3901 (एक आतंकवादी सहित)	1444 (4 आतंकवादियों सहित)	(30 जून तक) 422 (7 आतंकवादियो सहित)
मारे गए घुसपैठियों/आतंकवादियों की संख्या	94	52 (2 आतंकवादियों सहित)	44 (9 आतंकवादियों सहित)
बरामद किए गए निषिद्ध माल (सोना, दवाओं, नशीली दवाओं सहित) की मात्रा/मूल्य	रु. 9,45,04,629 जिसमें i) 30.021 कि. ग्रा. सोना, जिसका मूल्य 1,20,17,750/- रु. शामिल है। ii) हीरोईन- 271.785 कि. ग्राम मूल्य 8.15,34,000/- रुपए	रु. 1,65,48,400 जिसमें i) सोना 7 ग्राम मूल्य 2,200/- ii) हीरोईन-29 कि. ग्रा. मूल्य 1,45,00,000/- शामिल है।	रु. 2,72,226 जिसमें i) सोना 6 ग्रा० मूल्य 2,150/- रु. शामिल है।

1	2	3	4
जब्त किए गए गोला-बारूद/शस्त्रों की संख्या			
शस्त्र	ए.के. फैमिली राईफल-5 अन्य राईफल-1 बन्दूकें-4 रिवाल्वर/पिस्तौल-8	ए.के. फैमिली राईफल-25 अन्य राईफल-1 एम.एम.जी-1 बन्दूक-2 रिवाल्वर/पिस्तौल-22 राकिट-2 लान्चर	ए.के. फैमिली राईफल-41 जी. पी. एम. जी.-2 एल.एम.जी-1 रिवाल्वर/पिस्तौल-31
गोला बारूद (असार्टेड)	3579 (राउण्ड्स)	11834 (राउण्ड्स)	7916 (राउण्ड्स)
	1989	1990	1991 (30 जून तक)
विस्फोटक			
डैटोनेटर्स - 10 संख्या विस्फोटक - 16 कि. ग्रा. हथगोले - 08 संख्या	विस्फोटक - 67 कि. डैटोनेटर्स - 80 सं. सुरंग ए/टी - 03 सं. हथगोले - 08 संख्या बम/खोल - 44 संख्या राकेट - 12 संख्या	विस्फोटक - 81 कि. डैटोनेटर्स - 184 सं. हथगोले - 24 संख्या	

टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन

287. डा. अबरार अहमद : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुनावों की घोषणा के पश्चात् किन-किन शहरों में टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन किया गया और क्या निर्वाचन आयोग ने उन्हें निरस्त करने का आदेश दिया था, यदि हां, तो उन्हें निरस्त न किये जाने के क्या कारण है;

(ख) उपर्युक्त टेलीफोन सलाहकार समितियों को कब तक निरस्त करके नई समितियों का गठन किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त समितियों में संसद सदस्य और विधायक भी शामिल थे, यदि नहीं, तो उनके बिना उनकी घोषणा क्यों की गई तथा इसके लिए कौन दोषी है; और

(घ) वर्तमान में देश में तथा राजस्थान में किन-किन शहरों में टेलीफोन सलाहकार समितियां नहीं है तथा इनका गठन कब तक हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगैय्या नायडू) : (क) दूरसंचार टेलीफोन सलाहकार समितियों (टीएसी) जिनकी सूची विवरण I में दी गई है, का गठन लोक सभा भंग होने के बाद परन्तु निर्वाचन आयोग द्वारा 12 अप्रैल, 1991 को होने वाले चुनावों की घोषणा से पूर्व 28-29 मार्च, 91 को किया